



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276600
CG-DL-E-29092026-276600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4960]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4960]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5166(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में हाई स्पीड एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाइवे पानीपत से गोरखपुर सेक्शन के कि.मी. 420.794 से कि.मी. 432.3 (कलेक्ट्रेट परिसर, लखीमपुर खीरी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चार-लेन/छह-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, खीरी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में हाई स्पीड एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाइवै पानीपत से गोरखपुर सेक्शन के कि.मी. 420.794 से कि.मी.432.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: लखीमपुर खीरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लखीमपुर खीरी					
गांव का नाम: कटिया					
1	1082	सरकारी	नवीन परती	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
2	1083	निजी	कृषि	0.178 (हेक्टेयर)	0.178
3	1084	निजी	कृषि	0.1698 (हेक्टेयर)	0.1698
4	1087	सरकारी	चक मार्ग	0.0312 (हेक्टेयर)	0.0312
5	1089	निजी	कृषि	0.6683 (हेक्टेयर)	0.6683
6	1090	निजी	कृषि	0.7531 (हेक्टेयर)	0.7531
7	1091	निजी	कृषि	0.4251 (हेक्टेयर)	0.4251
8	1092	निजी	कृषि	0.4431 (हेक्टेयर)	0.4431
9	1126	सरकारी	चक मार्ग	0.0199 (हेक्टेयर)	0.0199
10	1127	निजी	कृषि	0.3112 (हेक्टेयर)	0.3112
11	1128	निजी	कृषि	0.311 (हेक्टेयर)	0.311
12	1129	सरकारी	तालाब	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
13	1130	निजी	कृषि	0.214 (हेक्टेयर)	0.214
14	1131	निजी	कृषि	0.0872 (हेक्टेयर)	0.0872
15	1133	निजी	कृषि	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
16	1135	निजी	कृषि	0.2263 (हेक्टेयर)	0.2263
17	1136	निजी	कृषि	0.0287 (हेक्टेयर)	0.0287
18	1141	निजी	कृषि	0.0662 (हेक्टेयर)	0.0662
19	1160	सरकारी	रास्ता	0.0153 (हेक्टेयर)	0.0153
20	1161	सरकारी	आबादी	1.0403 (हेक्टेयर)	1.0403
21	1162	सरकारी	नवीन परती	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
22	1163	सामान्य	कृषि/आबादी	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
23	1164	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
24	1165	सरकारी	रास्ता	0.0881 (हेक्टेयर)	0.0881
25	1166	निजी	कृषि	0.101 (हेक्टेयर)	0.101

26	1167	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
27	1168	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
28	1169	निजी	कृषि	0.0396 (हेक्टेयर)	0.0396
29	1170	निजी	कृषि	0.0355 (हेक्टेयर)	0.0355
30	1171	निजी	कृषि	0.0141 (हेक्टेयर)	0.0141
31	1172	सरकारी	चकमार्ग	0.0195 (हेक्टेयर)	0.0195
32	1173	निजी	कृषि	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
33	1174/1299	निजी	कृषि	0.0206 (हेक्टेयर)	0.0206
34	1175	सरकारी	खलिहान	0.2538 (हेक्टेयर)	0.2538
35	1176	निजी	कृषि	0.0883 (हेक्टेयर)	0.0883
36	1177	निजी	कृषि	1.009 (हेक्टेयर)	1.009
37	1178	सरकारी	रास्ता	0.1247 (हेक्टेयर)	0.1247
38	1179	सरकारी	नवीन परती	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
39	1180	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
40	1181	सरकारी	खाद के गढढे	0.125 (हेक्टेयर)	0.125
41	1182	सरकारी	झाड़ी	0.166 (हेक्टेयर)	0.166
42	1183	निजी	कृषि	0.049 (हेक्टेयर)	0.049
43	1184	निजी	कृषि	0.1572 (हेक्टेयर)	0.1572
44	1185	सरकारी	नाली	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
45	1186	सरकारी	झाड़ी	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
46	1187	सरकारी	आबादी	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
47	1191	सरकारी	आबादी	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
48	1192	निजी	कृषि	0.0077 (हेक्टेयर)	0.0077
49	1198	सरकारी	रास्ता	0.0896 (हेक्टेयर)	0.0896
50	1205	सरकारी	नवीन परती	0.0612 (हेक्टेयर)	0.0612
51	1206	निजी	कृषि	0.3011 (हेक्टेयर)	0.3011
52	1238	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
53	1240	सरकारी	रास्ता	0.0753 (हेक्टेयर)	0.0753
54	1242	निजी	कृषि	0.3162 (हेक्टेयर)	0.3162
55	1243	सरकारी	रास्ता	0.2546 (हेक्टेयर)	0.2546
56	1244	निजी	कृषि	0.4009 (हेक्टेयर)	0.4009
57	1245	निजी	कृषि	1.027 (हेक्टेयर)	1.027
58	1246	निजी	कृषि	0.5545 (हेक्टेयर)	0.5545
59	1249	निजी	कृषि	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
60	1250	सरकारी	चकमार्ग	0.1023 (हेक्टेयर)	0.1023
61	1251	निजी	कृषि	0.0547 (हेक्टेयर)	0.0547
62	1252	निजी	कृषि	0.6992 (हेक्टेयर)	0.6992
63	1253	निजी	कृषि	0.9264 (हेक्टेयर)	0.9264
64	1254	सरकारी	चकमार्ग	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
65	1255	निजी	कृषि	0.745 (हेक्टेयर)	0.745

66	1256	निजी	कृषि	0.502 (हेक्टेयर)	0.502
67	1257	निजी	कृषि	0.4791 (हेक्टेयर)	0.4791
68	1258	निजी	कृषि	0.1627 (हेक्टेयर)	0.1627
69	1259	निजी	कृषि	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
70	1260	निजी	कृषि	0.1421 (हेक्टेयर)	0.1421
71	1261	निजी	कृषि	0.858 (हेक्टेयर)	0.858
72	1262	निजी	कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
73	1263	निजी	कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
74	1264	सरकारी	चक मार्ग	0.085 (हेक्टेयर)	0.085
75	1265	निजी	कृषि	0.6821 (हेक्टेयर)	0.6821
76	1266	निजी	कृषि	1.104 (हेक्टेयर)	1.104
77	1267	निजी	कृषि	0.951 (हेक्टेयर)	0.951
78	1268	निजी	कृषि	0.793 (हेक्टेयर)	0.793
79	1269	निजी	कृषि	0.2032 (हेक्टेयर)	0.2032
80	1270	निजी	कृषि	0.0187 (हेक्टेयर)	0.0187
81	1271	सरकारी	चक मार्ग	0.1413 (हेक्टेयर)	0.1413
82	1272	निजी	कृषि	2.1445 (हेक्टेयर)	2.1445
83	1273	निजी	कृषि	0.7135 (हेक्टेयर)	0.7135
84	1275	निजी	कृषि	0.2507 (हेक्टेयर)	0.2507
85	1276	निजी	कृषि	0.206 (हेक्टेयर)	0.206
86	1277	निजी	कृषि	0.729 (हेक्टेयर)	0.729
87	1278	सरकारी	रास्ता	0.3834 (हेक्टेयर)	0.3834
88	1279	निजी	कृषि	0.1722 (हेक्टेयर)	0.1722
89	1280	निजी	कृषि	0.138 (हेक्टेयर)	0.138
90	1281	सामान्य	कृषि/नवीन परती	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
91	1282	निजी	कृषि	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
92	1284	सरकारी	रास्ता	0.0166 (हेक्टेयर)	0.0166
Total					25.4337

[फा. सं. 25013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-8/2025/PIU-BRH/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5166(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (4/6 lane etc.), maintenance, management and operation of land for High Speed Access Controlled Greenfield Highway Panipat to Gorakhpur in the stretch of land from Km. 420.794 to Km. 432.3 (Collectorate Campus, Lakhimpur Kheri) in the district of LAKHIMPUR KHERI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling land for High Speed Access Controlled Greenfield Highway Panipat to Gorakhpur in the stretch of land from Km. 420.794 to Km. 432.3 (Collectorate Campus, Lakhimpur Kheri) in the district of LAKHIMPUR KHERI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: LAKHIMPUR KHERI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lakhimpur Kheri					
Village: Katiya					
1	1082	Government	Naveen Parti	0.0063 (Hectare)	0.0063
2	1083	Private	Agriculture	0.178 (Hectare)	0.178
3	1084	Private	Agriculture	0.1698 (Hectare)	0.1698
4	1087	Government	Chak Marg	0.0312 (Hectare)	0.0312
5	1089	Private	Agriculture	0.6683 (Hectare)	0.6683
6	1090	Private	Agriculture	0.7531 (Hectare)	0.7531
7	1091	Private	Agriculture	0.4251 (Hectare)	0.4251
8	1092	Private	Agriculture	0.4431 (Hectare)	0.4431
9	1126	Government	Chak Marg	0.0199 (Hectare)	0.0199
10	1127	Private	Agriculture	0.3112 (Hectare)	0.3112
11	1128	Private	Agriculture	0.311 (Hectare)	0.311
12	1129	Government	Pond	0.069 (Hectare)	0.069
13	1130	Private	Agriculture	0.214 (Hectare)	0.214
14	1131	Private	Agriculture	0.0872 (Hectare)	0.0872
15	1133	Private	Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
16	1135	Private	Agriculture	0.2263 (Hectare)	0.2263
17	1136	Private	Agriculture	0.0287 (Hectare)	0.0287
18	1141	Private	Agriculture	0.0662 (Hectare)	0.0662
19	1160	Government	Rasta	0.0153 (Hectare)	0.0153
20	1161	Government	Aabadi	1.0403 (Hectare)	1.0403
21	1162	Government	Naveen Parti	0.065 (Hectare)	0.065
22	1163	Common	Agriculture/Aabadi	0.048 (Hectare)	0.048
23	1164	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
24	1165	Government	Rasta	0.0881 (Hectare)	0.0881
25	1166	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
26	1167	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
27	1168	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04

28	1169	Private	Agriculture	0.0396 (Hectare)	0.0396
29	1170	Private	Agriculture	0.0355 (Hectare)	0.0355
30	1171	Private	Agriculture	0.0141 (Hectare)	0.0141
31	1172	Government	Chakmarg	0.0195 (Hectare)	0.0195
32	1173	Private	Agriculture	0.0172 (Hectare)	0.0172
33	1174/1299	Private	Agriculture	0.0206 (Hectare)	0.0206
34	1175	Government	Khalihan	0.2538 (Hectare)	0.2538
35	1176	Private	Agriculture	0.0883 (Hectare)	0.0883
36	1177	Private	Agriculture	1.009 (Hectare)	1.009
37	1178	Government	Rasta	0.1247 (Hectare)	0.1247
38	1179	Government	Naveen Parti	0.101 (Hectare)	0.101
39	1180	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
40	1181	Government	Khad Ke Gaddhe	0.125 (Hectare)	0.125
41	1182	Government	Jhadi	0.166 (Hectare)	0.166
42	1183	Private	Agriculture	0.049 (Hectare)	0.049
43	1184	Private	Agriculture	0.1572 (Hectare)	0.1572
44	1185	Government	Nali	0.008 (Hectare)	0.008
45	1186	Government	Jhadi	0.036 (Hectare)	0.036
46	1187	Government	Aabadi	0.006 (Hectare)	0.006
47	1191	Government	Aabadi	0.0009 (Hectare)	0.0009
48	1192	Private	Agriculture	0.0077 (Hectare)	0.0077
49	1198	Government	Rasta	0.0896 (Hectare)	0.0896
50	1205	Government	Naveen Parti	0.0612 (Hectare)	0.0612
51	1206	Private	Agriculture	0.3011 (Hectare)	0.3011
52	1238	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
53	1240	Government	Rasta	0.0753 (Hectare)	0.0753
54	1242	Private	Agriculture	0.3162 (Hectare)	0.3162
55	1243	Government	Rasta	0.2546 (Hectare)	0.2546
56	1244	Private	Agriculture	0.4009 (Hectare)	0.4009
57	1245	Private	Agriculture	1.027 (Hectare)	1.027
58	1246	Private	Agriculture	0.5545 (Hectare)	0.5545
59	1249	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
60	1250	Government	Chakmarg	0.1023 (Hectare)	0.1023
61	1251	Private	Agriculture	0.0547 (Hectare)	0.0547
62	1252	Private	Agriculture	0.6992 (Hectare)	0.6992
63	1253	Private	Agriculture	0.9264 (Hectare)	0.9264
64	1254	Government	Chakmarg	0.032 (Hectare)	0.032
65	1255	Private	Agriculture	0.745 (Hectare)	0.745
66	1256	Private	Agriculture	0.502 (Hectare)	0.502
67	1257	Private	Agriculture	0.4791 (Hectare)	0.4791
68	1258	Private	Agriculture	0.1627 (Hectare)	0.1627
69	1259	Private	Agriculture	0.0031 (Hectare)	0.0031
70	1260	Private	Agriculture	0.1421 (Hectare)	0.1421
71	1261	Private	Agriculture	0.858 (Hectare)	0.858
72	1262	Private	Agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
73	1263	Private	Agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
74	1264	Government	Chak Marg	0.085 (Hectare)	0.085
75	1265	Private	Agriculture	0.6821 (Hectare)	0.6821

76	1266	Private	Agriculture	1.104 (Hectare)	1.104
77	1267	Private	Agriculture	0.951 (Hectare)	0.951
78	1268	Private	Agriculture	0.793 (Hectare)	0.793
79	1269	Private	Agriculture	0.2032 (Hectare)	0.2032
80	1270	Private	Agriculture	0.0187 (Hectare)	0.0187
81	1271	Government	Chak Marg	0.1413 (Hectare)	0.1413
82	1272	Private	Agriculture	2.1445 (Hectare)	2.1445
83	1273	Private	Agriculture	0.7135 (Hectare)	0.7135
84	1275	Private	Agriculture	0.2507 (Hectare)	0.2507
85	1276	Private	Agriculture	0.206 (Hectare)	0.206
86	1277	Private	Agriculture	0.729 (Hectare)	0.729
87	1278	Government	Rasta	0.3834 (Hectare)	0.3834
88	1279	Private	Agriculture	0.1722 (Hectare)	0.1722
89	1280	Private	Agriculture	0.138 (Hectare)	0.138
90	1281	Common	Agriculture/Naveen Parti	0.0462 (Hectare)	0.0462
91	1282	Private	Agriculture	0.0082 (Hectare)	0.0082
92	1284	Government	Rasta	0.0166 (Hectare)	0.0166
Total					25.4337

[F. No. 25013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-8/2025/PIU-BRH/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director